न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 79/2018 | तारीख दायरा 01.08.2018 | तारीख फैसला 24.12.2025

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल
2— रामकल्याण पुत्र छीतरलाल
3— मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल
4— श्यामसुन्दर पुत्र छीतरलाल जातिगण मीना निवासीगण ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादीगण)

बनाम

1— किशनलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ख्यावदा के कायम मुकाम
1/1— रामचरण पुत्र किशनलाल
1/2— रामप्यारी बेवा किशनलाल जाति मीना निवासी ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
1/3— सूरती बाई पुत्री किशनलाल पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मीना निवासी हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
1/4— रूकमणी पुत्री किशनलाल पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।
1/5— कलावती पुत्री किशनलाल पत्नी रामस्वरूप जाति मीना निवासी हथोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
1/6— ललिता बाई पुत्री किशनलाल पत्नी शिवराज जाति मीना निवासी पटपडा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।
1/7— गुड्डी बाई पुत्री किशनलाल पत्नी निकेश जाति मीना निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
1/8— मनभर पुत्री किशनलाल पत्नी नन्द किशोर जातिगण मीना निवासी सिनोता तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से —श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1/1 से 1/8 की ओर से — श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—
यह कि वाके माल ग्राम ख्यावदा में खाता संख्या नया 56 पुराना 54 में खसरा नं0 132/257 रकबा 0.93 है0 खसरा नं0 133 रकबा 1.53 है0 खसरा नं0 153 रकबा 1.30 है0

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु विधिवत सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पूर्णतया स्वीकार है अतः जवाबदावा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करें। प्रस्तुत वादपत्र के संबंध में जवाब सरकार हेतु तहसीलदार दीगोद को लिखा गया। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब सरकार अनुसार प्रस्तुत वाद सेटलमेन्ट द्वारा साबिक खसरा नं0 94 का मिलान क्षेत्रफल में रकबा कम दर्ज करने एवं खसरा नं0 224 को पृथक खसरा नं0 दर्ज कर सिवायचक दर्ज करने से संबंधित है पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 223 रकबा 0.70 है0 भूमि खातेदार रामप्रसाद, रामकल्याण, मुरारीलाल, श्यामस्वरूप पुत्रान् छीतरलाल हि0 1/2 सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नं0 224 रकबा 0.78 है0 भूमि सिवायचक खाता सरकार व खसरा नं0 225 रकबा 0.20 है0 गै0मु0 पाल खाता सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नं0 223 रकबा 0.70 हे0 में से 0.32 है0 उत्तर दिशा पर रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल, 0.32 हे0 मध्य पर श्यामस्वरूप पुत्र छीतरलाल, खसरा नं0 223 रकबा 0.06 है0 दक्षिण तथा खसरा नं0 224 रकबा 0.28 है0 उत्तर दिशा पर मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल व खसरा नं0 224 रकबा 0.32 है0 दक्षिण पर रामकल्याण पुत्र छीतरलाल काबिज है। खसरा नं0 225 रकबा 0.20 है0 मौके पर पाल बनी हुई है।

वादी साक्ष्य में वादीगण अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 रामचरण पुत्र किशनलाल PW-2 रामस्वरूप पुत्र किशनलाल PW-3 रामप्रसाद पुत्र किशनलाल का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। तदुपरान्त पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत 2033–2036 (प्रदर्श–3), सेटलमेन्ट पूर्व वादीगण के पिता छीतर, किशनलाल पुत्रान हीरालाल के खाते विवादित आराजी सहित अन्य खसरा नम्बरान किता–10 की 147 बीघा 17 बिस्वा आराजी दर्ज थी। इसमें से वादीगण द्वारा केवल गत खसरा नम्बर 94 की आराजी के समबन्ध में ही राहत चाही गई है ताकि उससे संबंधित दस्तावेज ही पेश किये गये है जबकि अपने कथन की सत्यता के प्रमाणीकरण हेतु वादीगण को सेटलमेन्ट पूर्व के सभी खसरा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल पेश किया जाना चाहिए था तब ही गत खसरा नम्बर 94 के रकबे में होने वाली कमी की प्रमाणिकता सिद्ध हो सकती है। गत और वर्तमान खसरा नम्बरान के तुलनात्मक अध्ययन से ही कुल रकबा की कमी पेशी की जानकारी हो पाना संभव है अर्थात वादीगण द्वारा अपने कथनों के प्रमाणीकरण में समस्त संभावित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है तथा वे वादपत्र के कथनों को प्रमाणित कर पाने में असफल रहे ह। वादीगण की ओर से पेश गत नक्शा भी अस्पष्ट है। जिससे दोनों नक्शों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधनियम की धारा 101 से 114 A के अनुसार वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार (Burden of Proof) वादीगण पर ही था किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपने कथनों को दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 114 A के अनुसार सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

NOTE :- उक्त निर्णय में पेज नं. 3 के सैकण्ड पैरा में PW-1 रामचरण पुत्र किशनलाल PW-2 रामस्वरूप पुत्र किशनलाल PW-3 रामप्रसाद पुत्र किशनलाल के स्थान पर PW-1 श्याम स्वरुप पुत्र छीतरलाल PW-2 रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल PW-3 मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल PW-4 रामकल्याण पुत्र छीतरलाल वादी साक्ष्य में एवं DW-1 रामचरण पुत्र किशनलाल पढ़ा जावे।

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल
2– रामकल्याण पुत्र छीतरलाल
3– मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल
4– श्यामसुन्दर पुत्र छीतरलाल जातिगण मीना निवासीगण ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादीगण)

बनाम

1– किशनलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ख्यावदा के कायम मुकाम
1/1– रामचरण पुत्र किशनलाल
1/2– रामप्यारी बेवा किशनलाल जाति मीना निवासी ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
1/3– सूरती बाई पुत्री किशनलाल पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति मीना निवासी हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
1/4– रूकमणी पुत्री किशनलाल पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।
1/5– कलावती पुत्री किशनलाल पत्नी रामस्वरूप जाति मीना निवासी हथोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
1/6– ललिता बाई पुत्री किशनलाल पत्नी शिवराज जाति मीना निवासी पटपडा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।
1/7– गुड्डी बाई पुत्री किशनलाल पत्नी निकेश जाति मीना निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
1/8– मनभर पुत्री किशनलाल पत्नी नन्द किशोर जातिगण मीना निवासी सिनोता तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से –श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1/1 से 1/8 की ओर से – श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 79/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – भारतीय साक्ष्य अधनियम की धारा 101 से 114 A के अनुसार वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार (Burden of Proof) वादीगण पर ही था किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपने कथनों को दस्तावेजी अथवा मौखिक खक्ष्यों के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 114 A के अनुसार सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया।